## <u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

## <u>फाइलिंग नंबर 235103003222015</u> <u>दांडिक प्रकरण क.-447 / 15</u> संस्थापित दिनांक-15.12.2015

| मध्यप्रदेश राज्य द्वार                        | π :                  |             |
|---|----------------------|-------------|
| आरक्षी केन्द्र चन्देरी                        | जिला अशोकनगर।        |             |
|   |                      | .अभियोजन    |
| विरुद्ध                                       |                      |             |
| 01—राजकुमार पुत्र                             | लालाराम सेन उम्र 22  | वर्ष निवासी |
| प्राणपुर थाना चंदेरी जिला अशोकनगर।            |                      |             |
|   |                      | अारोपी      |
| राज्य द्वारा :– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। |                      |             |
| आरोपी द्वारा                                  | :– श्री ए के चौरसिया | अधिवक्ता i  |

## —ः <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 30.05.2017 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 354, 323 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया

है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 354 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी रानी सेन ने दिनांक 29.09.15 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह अपने बच्चे को लेकर बिरजू साहू की दुकान पर दूध लेने जा रही थी तब शाम को करीब 6 बजे रास्ते में राजकुमार सेन के घर के सामने राजकुमार सेन खडा था और उसने उसे बुलाया तो उसने मना कर दिया तो आरोपी ने बच्चे को उससे छुडा लिया और बुरी नीयत से उसका बांया हाथ पकड लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। जब उसने मना किया और बचाने के लिए चिल्लाई तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की एवं चिल्लाने पर उसका मुंह दबा दिया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 397/15 के अंतर्गत भादिव की धारा 354, 323 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 354, 323 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
  - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 29.09.2015 को समय शाम करीब 06.00 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत फिरयादी रानी सेन जो कि एक स्त्री है, उसका बुरी नीयत से हाथ पकडकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया?

## -:: सकारण निष्कर्ष ::-

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 रानी, अ.सा. 02 लालाराम, अ.सा. 03 रजनी सेन की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 रानी ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी उसका देवर है जिससे उसका वाद विवाद हो गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्रपी 01 लेखबद्ध कराई थी तथा पुलिस ने नक्शामौका प्रपी 02 तैयार किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड लिया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने बुरी नीयत से उसे अपनी ओर खींचा था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 03 देने से इंकार किया है। अ.सा. 02 लालाराम ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को फरियादी एवं आरोपी के बीच कहासुनी एवं वाद विवाद हो गया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने फरियादी के साथ कोई घटना कारित की थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि फरियादी ने उसे बताया था कि आरोपी ने उसका हाथ पकड लिया था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 04 देने से इंकार किया है।

09— अ.सा. 03 रजनी के अनुसार उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी का उसकी भाभी से झगड़ा हो गया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने बुरी नीयत से उसकी भाभी का हाथ पकड़ लिया था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 05 देने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि एक भी साक्षी ने यह नहीं बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी का बुरी नीयत से हाथ पकड़ा

गया था। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादिया का बुरी नीयत से हाथ पकडकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया।

- 10— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादि की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 11- आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 12- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।
- 13— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)